



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त को 08 माह के कारावास व ₹5,000 रु के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना बिंवार में पंजीकृत मु0अ0सं0 66/2022 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एफटीसी प्रथम/गैंगस्टर कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सद्दाम खां पुत्र हमीद खां नि0 निवादा थाना बिंवार जनपद हमीरपुर 08 माह के कारावास व ₹5,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी प्रवीण सिंह
भदौरिया



विवेचक-
उ0नि0 अनुग्रह
नारायण



पैरोकार- थाना बिंवार
का0 प्रेम सिंह